R.No. MAHHIN/2004/14131
Regd. No. MH/MR/South-29/2006-08

मासिक शुल्क : 1 रुपया मात्र

खण्ड V ◆ अंक 4
अक्तूबर 2008

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

नीति

मोबाईल बैंकिंग के लिए परिचालनात्मक दिशानिर्देश

रिज़र्व बैंक ने 8 अक्तूबर 2008 से बैंकों द्वारा अंगीकृत किए जानेवाले मोबाईल बैंकिंग लेनदेन संबंधी परिचालनात्मक दिशानिर्देशों को अंतिम रूप प्रदान कर दिया है। इन दिशानिर्देशों के प्रयोजन से मोबाईल बैंकिंग लेनदेन में बैंक उन ग्राहकों द्वारा मोबाईल फोन का उपयोग करते हुए बैंकिंग लेनदेन शुरू कर रहा है जो अपने खातों में जमा/नामे शामिल करते हैं। इन दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं:

विनियामक पर्यवेक्षी मामले

* केवल वे बैंक जिन्हें लाइसेन्स प्राप्त है और जिनका भारत में पर्यवेक्षण किया जाता है तथा जो भारत में भौतिक रूप से काम कर रहे हैं उन्हें मोबाईल बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी जाएगी।
* ये सेवाएं केवल बैंक ग्राहकों और/अथवा रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार जारी किए गए डेबिट/क्रेडिट कार्ड धारकों तक ही सीमित रहनी चाहिए।
* केवल भारतीय रूपया पर आधारित घरेलू सेवाएं ही उपलब्ध कराई जाएं। सीमापारीय आवक और जावक अंतरण के लिए मोबाईल बैंकिंग सेवाओं का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित है।
* बैंक अपने ग्राहकों को यह सुविधा प्रदान करने के लिए कारोबारी संवाददाताओं की सेवाएं ले सकते हैं।
* रिज़र्व बैंक द्वारा 4 फरवरी 1998 के अपने परिपत्र में कंप्यूटर और दूरसंचार में जोखिम और नियंत्रण पर जारी दिशानिर्देश यथोचित परिवर्तनों के साथ मोबाईल बैंकिंग के लिए लागू होंगे।
* रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर अपने ग्राहक को जानें (केवाइसी), धन-शोधन (एएमएल) तथा आतंकवाद को वित्तीय सहायता से लड़ाई (सीएफटी) पर जारी दिशानिर्देश मोबाईल आधारित बैंकिंग सेवाओं पर भी लागू होंगे।
* केवल उन बैंकों को जिन्होंने कोर बैंकिंग समाधान कार्यान्वित किया है, मोबाईल बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने की अनुमति दी जाएगी।
* सामान्य बैंकिंग लेनदेन के मामले की तरह ही बैंक मोबाईल बैंकिंग लेनदेन के लिए वित्तीय आसूचना ईकाई-भारत (एफआइयू-आइएनडी) को संदेहास्पद लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर) दर्ज कराएं।

पंजीकरण

* मोबाईल बैंकिंग सेवा प्रारंभ करने के पहले बैंक अपने ग्राहकों की अधिदेशात्मक भौतिक उपस्थिति में दस्तावेज़ आधारित पंजीकरण की एक प्रणाली लागू करें। बैंकों के प्रस्ताव का अनुमोदन करते समय रिज़र्व बैंक विशिष्ट मामलों में रियायत पर विचार करेगा।
* पंजीकरण के समय ग्राहकों को प्रदान की जानेवाली सेवा की शर्तों के पूर्ण ब्योरे की जानकारी दी जाए।

प्रौद्योगिकी/सुरक्षा मानक

मोबाईल बैंकिंग सेवाओं और इसके अंतर्निहित परिचालनों के कारोबार के लिए सूचना सुरक्षा सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। अत: मोबाईल बैंकिंग के लिए प्रयुक्त प्रोद्योगिकी सुरक्षित होनी चाहिए और इसके द्वारा गोपनीयता, विश्वसनीयता, प्रामाणिकता और गैर-प्रतिष्ठा जोखिम सुनिश्चित किए जाएं।

बैंक अपनी जोखिम अवधारणा पर आधारित लेनदेन सीमा (प्रति लेनदेन - दैनिक, साप्ताहिक, मासिक), लेनदेन तीव्रता सीमा, धोखाधड़ी पर नियंत्रण, धन आशोधन नियंत्रण आदि जैसे समुचित जोखिम ह्रास उपायों को तब तक लागू करें जब तक रिज़र्व बैंक द्वारा अन्यथा अधिदेशित न किया जाए।

प्रमाणीकरण

मोबाईल बैंकिंग लेनदेन के प्रमाणीकरण के लिए बैंक निम्नलिखित सुरक्षा सिद्धांतों और व्यवहारों का पालन करें:

(क) सभी मोबाईल बैंकिंग को केवल दो-कारक प्रमाणीकरण के माध्यम से विधिमान्यता की अनुमति दी जाए।

(ख) प्रमाणीकरण के कारकों में से एक कारक एमपिन अथवा कोई उच्चतर मानक रहे।

(ग) जहाँ एमपिन का उपयोग किया गया है वहाँ एमपिन का एक सिरे से दूसरे सिरे तक कूट-अंकन वांछनीय है अर्थात् नेटवर्क में कहीं भी स्पष्ट पाठ न रहे।

(घ) एमपिन को किसी सुरक्षित वातावरण में रखा जाए।

विषय सूची

	पृष्ठ
नीति	
मोबाईल बैंकिंग के लिए परिचालनात्मक दिशानिर्देश	1
तुलन पत्र में शामिल न होनेवाले एक्सपोज़र के संबंध में विवेकपूर्ण मानदंड	3
ग्राहक सेवा	
इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन/बाहरी चेक समाहरण के लिए सेवा प्रभार	3
घरेलू और विदेशी मुद्रा चलनिधि को सुधारने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा घोषित किए गए उपाय	4

कूट-अंकन और सुरक्षा का उचित स्तर लेनदेन संसाधनों के सभी चरणों में कार्यान्वित किया जाए। काला धन, धोखाधड़ी आदि के उपयोग में मोबाईल बैंकिंग के विरुद्ध अभिरक्षा के लिए पर्याप्त अभिरक्षात्मक रक्षा भी लागू की जाए। बैंक यह कार्रवाई भी करें -

(i) नेटवर्क के ऊपर अनुप्रयोग स्तरीय कूट-अंकन तथा जहाँ कहीं संभव हो परिवहन स्तर कूट-अंकन कार्यान्वित करें।

(ii) समुचित अग्नि रक्षा उपाय, घुसपैठ अन्वेषण प्रणाली (आइडीएस), डेटा फाईल और प्रणाली समेकन जाँच, निगरानी और घटना कार्रवाई प्रक्रियाएं तथा अवरोध प्रक्रियाएं स्थापित करें।

(iii) सावधिक जोखिम प्रबंध विश्लेषण, अनुप्रयोग तथा नेटवर्क आदि की सुरक्षा, अतिसंवेदनशीलता आकलन को कम-से-कम वर्ष में एक बार संचालित करें।

(iv) सुरक्षा व्यवहारों, दिशानिर्देशों, मोबाईल बैंकिंग तथा भुगतान प्रणालियों में प्रयुक्त पद्धतियों और प्रक्रियाओं के उचित और पूरे अभिलेखन का रखरखाव करें तथा उन्हें संचालिए किए गए सावधिक जोखिम प्रबंध, विश्लेषण और अतिसंवेदनशीलता आकलन के आधार पर अद्यतन बनाए रखें।

(v) प्रणाली प्रवेश मार्गों, नेटवर्क उपकरणों, सर्वरों, सामग्री प्रदर्शित करनेवाले कंप्यूटरों तथा प्रयुक्त अन्य हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर तक अनधिकृत पहुँच तथा हेराफेरी से रक्षा के लिए समुचित भौतिक सुरक्षा उपाय कार्यान्वित करें। बैंक के डेटा केंद्र और इसके सेवा प्रदाताओं के पास समुचित वायरयुक्त तथा वायरविहीन डेटा नेटवर्क सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए।

बैंक की ओर से मोबाईल बैंकिंग सर्वर पर अथवा मोबाईल बैंकिंग सेवा प्रदाता, यदि कोई हो, को किसी विश्वसनीय बाह्य एजेंसी द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। इसके अतिरिक्त संपूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बैंक मोबाईल बैंकिंग प्रणालियों पर एक नियमित सूचना सुरक्षा लेखा परीक्षा आयोजित करें।

उन मोबाईल बैंकिंग सुविधाओं के लिए जिनपर पहचान के रूप में दूरभाष संख्या नहीं होती है, उचित प्रमाणीकरण सुनिश्चित करने के लिए एक अलग लॉगिन आइडी और पासवर्ड वांछनीय है।

अंतर-परिचालन

- मोबाईल बैंकिंग सेवा प्रदान करनेवाले बैंक यह अवश्य सुनिश्चित करें कि किसी नेटवर्क परिचालक का मोबाईल फोन रखनेवाले ग्राहक इस सेवा का लाभ उठा सकें। किसी खास मोबाईल परिचालक (परिचालकों) के ग्राहकों पर प्रतिबंध यदि कोई है, तो उसे समीक्षा के अधीन छह महीने की एक अधिकतम अवधि तक यह सेवा प्रदान करने के केवल प्रारंभिक चरणों के दौरान ही लगाया जाएगा।
- भारत में मोबाईल बैंकिंग ढाँचे का दीर्घावधि लक्ष्य किसी ग्राहक को आबंटित मोबाईल नेटवर्क पर ध्यान दिए बिना तत्काल आधार पर किसी एक बैंक के खाते से उसी अथवा किसी दूसरे बैंक के दूसरे खाते में निधि अंतरण किए जाने का है। इसके लिए मोबाईल बैंकिंग सेवा प्रदाताओं और बैंकों के बीच अंतर-परिचालन तथा संदेश फार्मेट डाले जाने को विकसित करने की अपेक्षा होगी। बैंकों तथा उनके मोबाईल बैंकिंग सेवा प्रदाताओं के बीच अंतर-परिचालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक पता विशिष्ट आवश्यकताओं में उपयुक्त संशोधन के साथ आइएसओ 8583 जैसे संदेश फार्मेट अंगीकृत करेंगे।

समाशोधन/निपटान

देश भर में मोबाईल बैंकिंग ढाँचे के उद्देश्य को पूरा करने के लिए अंतर बैंक निपटान को सुविधा प्रदान करने के लिए 24 x 7 आधार पर परिचालित एक मजबूत समाशोधन और निपटान की मूलभूत सुविधा की आवश्यकता होगी। इस प्रकार की राष्ट्रीय मूलभूत सुविधा तैयार करने के लंबित रहने से बैंक रिज़र्व बैंक से त्वरित अनुमति के साथ अंतर बैंक निपटानों के लिए द्विपक्षीय अथवा बहुपक्षीय व्यवस्था तब तक कर सकते हैं जब तक ऐसी व्यवस्था भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत रिज़र्व बैंक द्वारा प्राधिकृत न की गई हो।

ग्राहक सुरक्षा

- उपयोगकर्ताओं के अधिप्रमाणन हेतु बैंकों द्वारा अंगीकृत किसी सुरक्षा प्रक्रिया को हस्ताक्षर के लिए स्थानापन्न के रूप में कानून द्वारा मान्यता देने की आवश्यकता है। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के अधिप्रमाणन के एक साधन के रूप में एक विशेष प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराती है। अधिप्रमाणन के लिए बैंकों द्वारा प्रयुक्त कोई अन्य पद्धति कानूनी जोखिम का स्रोत होती है। हस्ताक्षर करने के पूर्व ग्राहकों को इस कानूनी जोखिम से अवश्य अवगत कराया जाए।
- बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे ग्राहकों के खाते को गुप्त रखें और उसकी गोपनीयता बनाए रखें। इससे घुसपैठ/अन्य प्रौद्योगिकी खामियों के कारण गोपनीयता भंग होने, सेवा अस्वीकार किए जाने आदि के कारण ग्राहकों की देयता जोखिम बढ़ सकती है। अत: ऐसी जोखिमों का प्रबंध करने के लिए बैंक पर्याप्त जोखिम नियंत्रण उपाय लागू करें।
- जैसा कि किसी इंटरनेट बैंकिंग परिदृश्य मे होता है मोबाईल बैंकिंग परिदृश्य भी बहुत सीमित है अथवा इसमें भुगतान रोकने की सुविधा नहीं है क्योंकि भुगतान रोकने के अनुदेश प्राप्त होने के बावजूद बैंकों के लिए भुगतान रोक पाना असंभव हो जाता है क्योंकि लेनदेन पूर्णत: तात्कालिक स्वरूप के होते हैं और उन्हें प्रत्यावर्तित नहीं किया जा सकता। अत: मोबाईल सेवा प्रदान करनेवाले बैंक अपने ग्राहकों को समय सीमा और परिस्थितियाँ सूचित करें जिनमें भुगतान रोकने के किसी प्रकार के अनुदेश स्वीकार किए जा सकें।
- ग्राहक सुरक्षा अधिनियम, 1986 भारत में ग्राहकों के अधिकारों को पारिभाषित करता है और बैंकिंग सेवाओं पर भी पूरी तरह लागू है। वर्तमान में मोबाईल बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाने वाले ग्राहकों के अधिकार और दायित्त्व बैंकों और ग्राहकों के बीच द्विपक्षीय करारों द्वारा निर्धारित किए जा रहे हैं। प्रौद्योगिकी खामियों आदि के कारण घुसपैठ, सेवा के अस्वीकरण के माध्यम से अनधिकृत अंतरण से उत्पन्न जोखिमों पर विचार करते हुए मोबाईल बैंकिंग उपलब्ध करानेवाले बैंकों को ऐसी घटनाओं से उत्पन्न देयता के आकलन की आवश्यकता होगी और इंटरनेट बैंकिंग मामले की तरह ऐसी जोखिमों के विरुद्ध स्वयं को बीमाकृत करने जैसे समुचित प्रति-उपाय करने होंगे।
- भुगतानकर्ता और भुगतानकर्ता के बैंक, सहभागिता करनेवाले बैंक और सेवाप्रदाता के बीच किए गए द्विपक्षीय करार में स्पष्ट रूप से प्रत्येक पक्ष के अधिकारों और दायित्त्वों को पारिभाषित किया जाना चाहिए।
- बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे अपनी वेबसाइटों पर और/अथवा मुद्रित सामग्री के माध्यम से ग्राहकों के जोखिम, उत्तरदायित्त्व और देयताओं को अनिवार्यत: प्रकट करें।
- ग्राहक शिकायतों/परेशानियों के समाधान हेतु वर्तमान व्यवस्था का उपयोग मोबाईल बैंकिंग लेनदेन के लिए भी किया जाए। बैंक एक सहायता डेस्क का भी गठन करें और अपनी वेबसाइटों पर सहायता डेस्क तथा शिकायतें दर्ज करने के लिए प्रक्रियाओं के क्रम के ब्यौरे का प्रकटन करें। ऐसे ब्यौरे हस्ताक्षर करने के समय ग्राहकों को उपलब्ध कराए जाएं।
- वैसे मामलों में जहाँ ग्राहक किसी लेनदेन पर विवाद करते हुए बैंक के पास कोई शिकायत दर्ज कराता है तो सेवा प्रदान करनेवाले बैंक का यह उत्तरदायित्त्व होगा कि वह तत्परता से शिकायत का निवारण करे। बैंक ऐसी ग्राहक शिकायतों के समाधान हेतु प्रक्रियाएं लागू करें। क्षतिपूर्ति नीति सहित शिकायत समाधान प्रक्रिया का प्रकटन किया जाए।
- मोबाईल बैंकिंग सुविधा से उत्पन्न ग्राहक शिकायतें /परेशानियाँ बैंकिंग लोकपाल योजना के अंतर्गत शामिल हैं।
- कानूनी निपटान का क्षेत्र केवल भारत होगा।

लेनदेन सीमा

वर्तमान में बैंकों को अनुमति दी गई है कि वे अपने ग्राहकों को निधि अंतरण के लिए यह सुविधा प्रति ग्राहक प्रति दिन 5000 रुपए की सीमा तथा वस्तुओं/सेवाओं की खरीद को शामिल करनेवाले लेनदेन के लिए प्रति ग्राहक 10,000 रुपए की सीमा के अधीन प्रदान करें।

बैंक स्वयं की जोखिम अवधारणा के आधार पर ग्राहकों की मासिक लेनदेन सीमा भी लागू करें।

बोर्ड का अनुमोदन

उत्पाद तथा अनुमानित जोखिमों और उनमें कमी हेतु अंगीकार किए जानेवाले प्रस्तावित उपायों के लिए निदेशक बोर्ड (विदेशी बैंकों के मामले में स्थानीय बोर्ड) का अनुमोदन इस योजना की शुरुआत के पहले ही प्राप्त कर लिया जाए।

रिज़र्व बैंक का अनुमोदन

मोबाईल बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए इच्छुक बैंक प्रस्ताव का पूर्ण विवरण देते हुए रिज़र्व बैंक का एकबारगी अनुमोदन पहले ही प्राप्त कर लें।

तुलन पत्र में शामिल न होनेवाले एक्सपोज़र के संबंध में विवेकपूर्ण मानदंड

डेरिवेटिव लेनदेन के संबंध में अतिदेय भुगतानों की आस्ति वर्गीकरण स्थिति तथा डेरिवेटिव संविदाओं की पुनर्संरचना से संबंधित मुद्दों की जांच करने के बाद रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया है कि :

आस्ति वर्गीकरण

i) यदि किसी डेरिवेटिव संविदा के सकारात्मक बाजार दर पर आधारित मूल्य दर्शानेवाली अतिदेय प्राप्य राशियों का 90 दिन या उससे अधिक अवधि तक भुगतान प्राप्त नहीं होता है तो उन्हें अनर्जक आस्ति माना जायेगा। ऐसी स्थिति में वर्तमान आस्ति वर्गीकरण मानदंडों के अनुसार उधारकर्ता-वार वर्गीकरण के सिद्धांत का अनुसरण करते हुए उस ग्राहक को दी गयी अन्य निधिक सुविधाएं भी अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत की जाएंगी।

ii) यदि संबंधित ग्राहक बैंक का उधारकर्ता भी हो तथा नकदी ऋण या ओवरड्राफ्ट सुविधा प्राप्त कर रहा हो तो उपर्युक्त मद (i) में उल्लिखित प्राप्य राशियों को देय तिथि को उस खाते में नामे डाला जाए तथा उसकी अदायगी न होने का प्रभाव नकदी ऋण /ओवरड्राफ्ट सुविधा खाते में परिलक्षित होगा। विद्यमान मानदंडों के अनुसार यहाँ भी उधारकर्ता-वार आस्ति वर्गीकरण का सिद्धांत लागू होगा।

iii) उन मामलों में जहाँ संविदा में यह प्रावधान है कि डेरिवेटिव संविदा की परिपक्वता के पहले उसके वर्तमान बाजार दर आधारित मूल्य का निर्धारण होगा, वहाँ 90 दिन की अतिदेय अवधि के बाद केवल चालू ऋण एक्सपोज़र (संभावित भावी एक्सपोज़र नहीं) को अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

iv) चूँकि उपर्युक्त अतिदेय प्राप्य राशियाँ अप्राप्त आय को दर्शाती हैं, जिसे बैंक ने उपचय के आधार पर पहले ही बुक कर लिया है, 90 दिनों की अतिदेय अवधि के बाद लाभ और हानि खाते में पहले ही ले जायी गयी राशि की प्रति प्रविष्टि की जानी चाहिए तथा इस राशि को उचंत खाता में रखा जाना चाहिए, ठीक उसी तरह से जैसा अतिदेय अग्रिमों के मामले में किया जाता है।

डेरिवेटिव संविदा की पुनर्संरचना

ऐसे मामलों में जहां डेरिवेटिव संविदा की पुनर्संरचना की जाती है, पुनर्संरचना की तारीख को संविदा के बाज़ार दर आधारित मूल्य का नकद निर्धारण होना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए मूल संविदा के किसी भी पैमाने में कोई भी परिवर्तन पुनर्संरचना माना जाएगा।

ये अनुदेश भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं पर भी लागू होंगे।

ग्राहक सेवा

इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन/बाहरी चेक समाहरण के लिए सेवा प्रभार

रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया है कि 8 अक्टूबर 2008 से विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों और बाहरी चेक समाहरण सेवा प्रदान करने के लिए उनके द्वारा लगाए जानेवाले प्रभार निम्नानुसार होंगे:

इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए सेवा प्रभार	
लेनदेन का प्रकार	**प्रति लेनदेन प्रभार**
क) आवक लेनदेन - आरटीजीएस/एनइएफटी/इसीएस	नि:शुल्क - कोई प्रभार नहीं लगाया जाएगा।
ख) बाहरी लेनदेन	
(i) आरटीजीएस - 1 रुपए से 5 लाख रुपए तक	25 रुपए से अधिक नहीं होगा।
5 लाख रुपए और उससे अधिक	50 रुपए से अधिक नहीं होगा।
(ii) एनइएफटी - 1 लाख रुपए तक	5 रुपए से अधिक नहीं होगा।
1 लाख रुपए और उससे अधिक	25 रुपए से अधिक नहीं होगा।

इसीएस नामे वापसी के लिए बैंक चेक वापसी प्रभारों से अधिक प्रभार निर्धारित नहीं कर सकते हैं। ये प्रभार अंतर-बैंक निधि अंतरणों सहित सभी प्रकार के लेनदेनों पर लागू होंगे।

बैंकों को यह भी सूचित किया गया है कि :

- समाशोधन चक्र को कम करने और भुगतान के लिए इलेक्ट्रॉनिक तरीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु अदाकर्ता बैंकों को समाहरणकर्ता बैंक शाखाओं को आय के विप्रेषण के लिए जहाँ कहीं भी उपलब्ध हो, आरटीजीएस/एनइएफटी जैसे इलेक्ट्रॉनिक नमूनों का प्रयोग करना चाहिए।
- बैंकों को सक्षम सेवा उपलब्ध कराने के लिए त्वरित (स्पीड) समाशोधन और राष्ट्रीय समाशोधन सुविधाओं का अधिक प्रयोग करना चाहिए।
- ये प्रभार केवल भारत के भीतर शुरू किए गए और देय लेनदेन पर लागू होंगे।
- ये अनुदेश बड़े मूल्य वाले के नकदी लेनदेन पर बैंकों द्वारा लगाए जा रहे नकदी को हैन्डल करने के प्रभारों पर लागू नहीं होंगे।
- बैंकों को अपने ग्राहकों को उत्पाद उपलब्ध कराने से मना नहीं करना चाहिए अथवा समाहरण के लिए अपने ग्राहकों द्वारा जमा किए गए बाहरी चेकों को स्वीकार करने से मना नहीं करना चाहिए।

बाहरी चेक समाहरण प्रभार	
राशि	**प्रति लिखत प्रभार**
10,000 रुपए तक	50 रुपए से अधिक नहीं होगा।
10,000 रुपए से 1,00,000 रुपए तक	100 रुपए से अधिक नहीं होगा।
1,00,001 रुपए और उससे अधिक	150 रुपए से अधिक नहीं होगा।
उपर्युक्त प्रभारों में सब कुछ शामिल है। बैंकों को ग्राहकों पर कुरियर प्रभार, अन्य अतिरिक्त व्यय इत्यादि जैसे कोई भी अतिरिक्त प्रभार नहीं लगाना चाहिए।	

बिना पूर्वभुगतान के डाक से भेजने के लिए लाइसेंस संख्या **South - 19/2006-08** **Regd. No. MH/MR/South-29/2006-08**
प्रत्येक महीने कार्य दिवस के अंतिम दो दिन को मुंबई पत्रिका चॅनल छँटनी ऑफिस - GPO से प्रेषित

घरेलू और विदेशी मुद्रा चलनिधि को सुधारने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा घोषित किए गए उपाय

वैश्विक वित्तीय संकट के संदर्भ में घरेलू समष्टि आर्थिक और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने की दृष्टि से रिज़र्व बैंक मौद्रिक और चलनिधि परिस्थितियों पर निरंतर निगरानी रखे हुए है। रिज़र्व बैंक ने हाल ही में घरेलू और विदेशी चलनिधि के लिए कई उपाय किए। तथापि, जारी अनिश्चित वैश्विक स्थिति से भारत के वित्तीय बाज़ारों पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव जारी है। दबावों को कम करने के उद्देश्य से और खासकर वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित अतिरिक्त उपायों की घोषणा की है।

आरक्षित नकदी निधि अनुपात

अनुसूचित बैंकों के आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) को घटाकर 11 अक्तूबर 2008 से आरंभ होनेवाले पखवाड़े से उनकी निवल माँग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) का 6.50 प्रतिशत किया गया। इस उपाय से प्रणाली में 40,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त चलनिधि जारी की जाएगी।

रिपो दर

चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत रिपो दर को 20 अक्तूबर 2008 से 100 आधार बिंदुओं से घटाते हुए इसे 8.00 प्रतिशत किया गया।

अनिवासी जमा पर ब्याज दरें

अनिवासी बाह्य(एनआरई) जमाराशियाँ

15 अक्तूबर 2008 को भारत में कारोबार की समाप्ति से अगली सूचना तक एक से तीन वर्ष तक की परिपक्वता अवधि की नई अनिवासी (बाह्य) रुपया (एनआरआइ) मीयादी जमाराशियों पर ब्याज दरें पिछले महीने के अंतिम कार्य दिवस को अमरीकी डालर के लिए तदनुरूप परिपक्वता अवधि पर लागू लाइबोर/स्वैप दरों से 100 आधार अंकों से अधिक नहीं होनी चाहिए (जबकि 16 सितंबर 2008 को कारोबार की समाप्ति से लाइबोर/स्वैप दरों से 50 आधार अंक अधिक दरें लागू थी)। उपर्युक्त के अनुसार तीन वर्ष तक की जमाराशियों के लिए निर्धारित की गई ब्याज दरें, तीन वर्ष से अधिक की परिपक्वता अवधि की स्थिति में भी लागू होंगी। ब्याज दरों में परिवर्तन उन एनआरई जमाराशियों पर भी लागू होगा, जिन्हें वर्तमान परिपक्वता अवधि के बाद नवीकृत किया जाएगा।

विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता (बैंक) जमाराशियाँ

15 अक्तूबर 2008 को भारत में कारोबार की समाप्ति से संविदाकृत सभी परिपक्वता अवधियों की विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) एफसीएनआर (बी) जमाराशियों पर ब्याज दरें संबंधित मुद्रा/तदनुरूप परिपक्वता अवधियों के लिए लागू लाइबोर/स्वैप दरों से 25 आधार अंक अधिक की उच्चतम दर के भीतर होगी (जबकि 16 सितंबर 2008 को कारोबार की समाप्ति से लाइबोर/स्वैप दरों से 25 आधार अंक कम दरें लागू थीं)। अस्थायी दर वाली जमाराशियों पर ब्याज का भुगतान संबंधित मुद्रा/परिपक्वता अवधि पर लागू स्वैप दरों से 25 आधार अंक अधिक की उच्चतम सीमा के भीतर किया जाएगा। अस्थायी दर जमाराशियों के लिए ब्याज पुनर्निर्धारण अवधि 6 महीने होगी।

कृषि परिचालनों को वित्तपोषित करने के लिए अस्थायी चलनिधि सहायता

बैंकों द्वारा कृषि परिचालनों को पर्याप्त रूप से वित्तपोषित करने को सुनिश्चित करने की दृष्टि से रिज़र्व बैंक द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) और अनुसूचित बैंकों को उनकी बकाया कृषि अग्रिम के लिए 25,000 करोड़ रुपए की अस्थायी चलनिधि सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। यह सीमा कृषि ऋण में छूट और ऋण राहत योजना 2008 के अंतर्गत बैंकों द्वारा ऋण में छूट की राशि की मात्रा से संबंधित होगी। बैंकों और नाबार्ड द्वारा प्राप्त की जानेवाली चलनिधि सहायता 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से उपलब्ध होगी और इसका भुगतान 15 अक्तूबर 2008 से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर किंतु 3 नवंबर 2008 से पहले करना होगा। **इस सुविधा पर ब्याज दर को घटाते हुए 20 अक्तूबर 2008 से 8 प्रतिशत वार्षिक दर किया गया है।**

तदनुसार, उक्त सहायता प्राप्त करने के इच्छुक अनुसूचित वाणिज्य बैंकों और अनुसूचित प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) को क्षेत्रीय निदेशक, जमा लेखा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई को संपर्क करना चाहिए। गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक संबंधित राज्य सहकारी बैंकों के माध्यम से रिज़र्व बैंक से संपर्क कर सकते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) और सहकारी बैंक इस सुविधा का लाभ नाबार्ड के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।

चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत विशेष नियत दर रिपो

रिज़र्व बैंक ने पारस्परिक निधियों की चलनिधि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंकों को सहायता प्रदान करने की दृष्टि से 14 अक्तूबर 2008 को 20,000 करोड़ रुपये की अधिसूचित राशि के लिए पात्र प्रतिभूतियों के बदले 9 प्रतिशत वार्षिक दर पर एक विशेष नियत दर 14-दिवसीय रिपो का आयोजन किया।

चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत अतिरिक्त चलनिधि सहायता

शुद्ध रूप से अस्थायी उपाय के रूप में बैंकों को पारस्परिक निधियों की चलनिधि आवश्यकताओं को पूरा करने के विशेष प्रयोजन से अपनी निवल माँग और मीयादी देयताओं की 0.5 प्रतिशत की सीमा तक इस अतिरिक्त चलनिधि सहायता का लाभ उठाने की अनुमति दी गई हैं। 14 अक्तूबर 2008 को घोषित इस विशेष मीयादी रिपो सुविधा के बंद होने के बाद यह 14 दिवसीय अतिरिक्त चलनिधि सहायता सुविधा समाप्त हो जाएगी। यह सहायता 16 सितंबर 2008 को घोषित अस्थायी उपाय के अतिरिक्त होगी जिसमें बैंकों को यह अनुमति दी गई है कि वे अपनी निवल माँग और मीयादी देयताओं की 1 प्रतिशत की सीमा तक इस अतिरिक्त चलनिधि सहायता का लाभ उठा सकते हैं। अतिरिक्त चलनिधि सहायता प्राप्त करने से सांविधिक चलनिधि अनुपात में किसी कमी के लिए दण्डात्मक ब्याज में अनुरोध करने पर छूट दी जाएगी।

समुद्रपारीय विदेशी मुद्रा उधार की सीमा में वृध्दि

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंको को समुद्रपारीय निधियां प्राप्त करने में और अधिक लचीलापन प्रदान करने की दृष्टि से रिज़र्व बैंक ने उन्हें अपने प्रधान कार्यालय, समुद्रपारीय शाखाओं और संपर्क बैंकों से निधियां उधार लेने तथा पिछली तिमाही समाप्त होने तक नास्ट्रो खातों में उनकी अक्षत टियर-। पूंजी के 25 प्रतिशत की मौजूदा सीमा की तुलना में 50 प्रतिशत की सीमा तक अथवा 10 मिलियन अमरीकी डॉलर (अथवा उसके समकक्ष), जो भी अधिक हो (विदेशी मुद्रा और पूंजीगत लिखतों में निर्यात ऋण के वित्तपोषण के लिए उधार से इतर) ओवरड्राफ्टस् लेने की अनुमति दी है।

जमा प्रमाण पत्रों (सीडी) की जमानत पर म्यूचुअल फंडों को ऋण देना तथा जमा प्रमाण पत्रों की वापस खरीद

रिज़र्व बैंक ने बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को जमा प्रमाण पत्रों (सीडी) की जमानत पर म्यूचुअल फंडों की ऋण देने की अनुमति दी है। इसके अलावा, उन्हें परिपक्वता के पहले अपने जमा प्रमाण पत्रों को वापस खरीदने की भी अनुमति दी गयी है।

म्यूचुअल फंडों को ऐसे ऋण मंजूर करते समय बैंकों को सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियमावली, 1996 के पैरा 44(2) के प्रावधानों को ध्यान में रखना चाहिए। यदि इस प्रकार का वित्तपोषण ईक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंडों को दिया जाता है तो अब तक की तरह वह बैंकों के पूंजी बाज़ार एक्सपोज़र का अंग होगा।

अल्पना किल्लावाला द्वारा **भारतीय रिज़र्व बैंक,** प्रेस संपर्क प्रभाग (संचार विभाग), केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित तथा **ऑनलुकर प्रेस,** 16, ससून डॉक, कुलाबा, मुंबई - 400 005 में मुद्रित । **ग्राहक नवीकरण तथा पते में परिवर्तन के लिए मुख्य महाप्रबंधक, प्रेस संपर्क प्रभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय भवन, 12वीं मंज़िल, फोर्ट, मुंबई 400 001 को लिखें। कृपया कोई मांग ड्राफ्ट/चेक न भेजें। मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू इंटरनेट www.mcir.rbi.org.in/hindi पर भी उपलब्ध है।**